भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2895

20 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों की आत्महत्या रोकने हेतु कदम

2895 डा. मु. तंबी दुरै:
श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों का वर्ष-वार, राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कर्ज किसानों की आत्महत्या का प्रमुख कारण है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) संकटग्रस्त किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) संबंधित मुद्दों के प्रति किसानों को संवेदनशील बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), अपने प्रकाशन 'एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुईसाइड्स इन इंडिया' (एडीएसआई) में आत्महत्याओं के बारे में जानकारी संकलित एवं प्रसारित करता है। वर्ष 2022 तक की रिपोर्ट एनसीआरबी की वेबसाइट (https://ncrb.gov.in) पर उपलब्ध है। एडीएसआई रिपोर्ट 2020, 2021 और 2022 में किसानों की आत्महत्या के अलग-अलग कारण नहीं बताए गए हैं।

कृषि राज्य का विषय है और भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय सहायता और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम उत्पादन में वृद्धि, लाभकारी रिटर्न और किसानों को आय सहायता प्रदान करके किसानों के कल्याण के लिए हैं। सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के बजट आवंटन को वर्ष 2013-14 के दौरान 21,933.50 करोड़ रुपये बजट अनुमान से बढ़ाकर वर्ष 2024-25 के दौरान 1,22,528.77 करोड़ रुपये बजट अनुमान कर दिया है। किसानों की समग्र आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में लाभकारी रिटर्न दिलाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजनाएं/कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई)
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
4. संशोधित ब्याज छूट योजना (एमआईएसएस)
5. एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
6. किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन

7. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
8. स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष (एग्री फंड) (एग्रीश्योर)
9. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
10. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
11. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
12. बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)
13. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
14. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
15. डिजिटल कृषि मिशन
16. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)-राष्ट्रीय कृषि बाजार (आईएसएएम-ई नाम)
17. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम) - अन्य (आईएसएएम-अन्य)
18. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
19. मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी)
20. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
21. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम
22. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन
23. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
24. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
25. कृषि वानिकी
26. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
27. राष्ट्रीय बांस मिशन

(ङ) एवं (च): किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), जो अगस्त 1998 से प्रचालन में है, समय पर और परेशानी मुक्त तरीके से किसानों की उत्पादन ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नवाचारी ऋण वितरण तंत्र के रूप में उभरा है। तब से इस योजना को किसानों को एकमुश्त दस्तावेज़ीकरण, सीमा के भीतर कई निकासी, सीमा में अंतर्निहित लागत वृद्धि आदि के आधार पर एटीएम-सक्षम डेबिट कार्ड प्रदान करके सरल बनाया गया है। वर्ष 2018-19 के दौरान, केसीसी योजना और ब्याज अनुदान का लाभ पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले किसानों तक बढ़ाया गया।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, किसानों द्वारा कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए केसीसी के माध्यम से लिए गए अल्पावधि कृषि ऋण को रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, एक केंद्रीय क्षेत्र योजना, संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत, किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर केसीसी ऋण दिया जाता है। इसके लिए, वर्तमान में, वित्तीय संस्थानों को 1.5% की दर पर ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। इसलिए, कृषि और पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन आदि सहित अन्य संबद्ध गतिविधियों के लिए 3 लाख रुपये तक के अल्पावधि ऋण किसानों को 7% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर उपलब्ध हैं। ऋणों के शीघ्र और समय पर पुनर्भुगतान के लिए किसानों को अतिरिक्त 3% शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) भी दिया जाता है; इस प्रकार ब्याज की प्रभावी दर घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाती है। केवल संबद्ध गतिविधियों (फसल पालन के अलावा) के लिए लिए गए अल्पावधि ऋण के मामले में, 2.00 लाख रुपये तक की ऋण राशि 7% की दर पर उपलब्ध है। इस पर अतिरिक्त 3% पीआरआई भी उपलब्ध है।

यद्यपि केसीसी एक मांग आधारित योजना है, लेकिन कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने समय-समय पर केसीसी की संतृप्ति (सेचुरेशन) बढ़ाने के लिए विशेष अभियान भी चलाए हैं। वर्तमान में, 'घर-घर केसीसी अभियान' प्रगति पर है, जिसमें केसीसी और ब्याज अनुदान का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए पीएम किसान लाभार्थियों को संतृप्त करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा, केसीसी सहित विभिन्न योजनाओं की संतृप्ति प्राप्त करने के लिए आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा (वीबीएसवाई) भी आयोजित की गई थी। इसके अलावा, पीएम जनमन योजना के तहत, सरकार का लक्ष्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) को केसीसी सहित अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं से संतृप्त करना है।

इसके अलावा, आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है। राज्य सरकारें पहले से ही अपने पास रखे गए राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) से सूखे सहित अधिसूचित आपदाओं के मद्देनजर प्रभावित लोगों को वित्तीय राहत प्रदान करती हैं। तथापि, गंभीर प्रकृति की आपदा की स्थिति में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमटीसी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है।

*****